न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी (आर.ए.एस)

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 27/2023

प्रार्थी/परिवादी	**बनाम**	**अप्रार्थी/गैरसायल–**
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर।		1. पूनमचन्द पुत्र उमाराम, जाति जाट, निवासी दूदवा। (मैसर्स ई2पी मार्ट/एस जी मार्ट प्रा0 लि0, सिणधरी) विक्रेता 2. प्रेम कुमार पुत्र चैनाराम, निवासी लेगों की ढाणी बायतु (मैसर्स मैसर्स ई2पी मार्ट/एस जी मार्ट प्रा0 लि0, सिणधरी) नोमिनी व्यक्ति 3. फर्म मैसर्स ई2पी मार्ट / एस जी मार्ट प्रा0 लि0

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थितिः–

1. श्री अभियोजन अधिकारी, बाड़मेर प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 समस्त अनुपस्थित।

–:आदेशः–

दिनांकः– 20.08.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा **धारा 26** की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा **52** खाद्य और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि **अप्रार्थी संख्या 03** की फर्म **मैसर्स मैसर्स ई2पी मार्ट / एस जी मार्ट प्रा0 लि0** पर निरीक्षण **दिनांक 22.03.2023** के दौरान हैण्डलूम में आमजन को विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ **पापड़ ब्राण्ड फिन जायका** में मिलावट का शक होने पर नियमानुसार **500 ग्राम पैकिंग** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1938** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **पापड़ ब्राण्ड फिन जायका** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **पापड़ ब्राण्ड फिन जायका** का नमूना जांच उपरांत रिपोर्ट **L.S./800/Act/2023/843 दिनांक 06.04.2023 में उक्त नमूना मिथ्या छाप (Misbranded Food)** पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर **अप्रार्थीगण** को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा **52** के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। **अप्रार्थी संख्या 02** स्वयं उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा गया, जो नियमानुसार दिया गया। **अप्रार्थीगण** को प्रत्येक स्तर पर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है।

3. हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। **अप्रार्थीगण** द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से संबंधित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। **अप्रार्थीगण संख्या 03** के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच उपरांत रिपोर्ट **L.S./800/Act/2023/843 दिनांक 06.04.2023 में उक्त नमूना मिथ्या छाप (Misbranded Food)** पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत हाने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। **अप्रार्थीगण** संख्या 02 दौरान सुनवाई स्वयं उपस्थित हुए और लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा गया, जो नियमानुसार दिया गया। पर्याप्त समय दिया जाने के पश्चात भी **अप्रार्थी** द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। लिहाजा पत्रावली लम्बे समय से निस्तारण नहीं होने से फेसल किया जाना आवश्यक है। इसलिए **अप्रार्थी संख्या 03** की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **मिथ्या छाप (Misbranded Food)**

खाद्य निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

का पाया जाने से खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किये जाने से खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए **अप्रार्थीगण** के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा **52** के तहत जुर्म प्रमाणित किया जाता है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत **अप्रार्थीगण** के विरूद्ध अपराध धारा **52** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से **अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03** पर संयुक्त रूप से **रुपये 35,000/– अक्षरे रुपये पैंतीस हजार मात्र** जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। **अप्रार्थीगण** उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश दिनांक **20.08.2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नानू राम सैनी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा